अनुदान संख्या 55 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 55–OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	756,38,00		891,38,00	835,19,70	–56,18,30
पूरक	Supplementary	135,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55,26,57

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (5618.30 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए (13500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 42 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2235" – "Social Security and Welfare" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5618.30 lakhs) constituted 42 percent of the supplementary grant of Rs.13500.00 lakhs obtained in March, 2005 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	2901.00	1278.00	1257.95	–20.05
पु.	R.	–1623.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	31914.00			
पू.	S.	9000.00	40125.38	40068.90	–56.48
पु.	R.	–788.62			
मुख्य शीर्ष ''2245'' प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of natural calamities				
मू.	O.	2566.00			
			1506.81	1503.60	–3.21
पु.	R.	–1059.19			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	35950.00			
पू.	S.	4500.00	38646.35	38645.62	–0.73
पु.	R.	–1803.65			

(I) 716.06 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''पुनर्वास - भारत-पाक युद्ध, 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास - पाक अधिकृत कश्मीर और छंब निआबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति'' के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर की सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.716.06 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2235" - "Rehabilitation-Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict,1971-Displaced Persons from PAK occupied Kashmir and Chhamb Niabat Area" - due to non-receipt of claims for reimbursement from the Government of Jammu and Kashmir.

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय पहचान-पत्र स्कीमें'' - 1439.88 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(A) "National Identity Card Schemes" - saving of Rs.1439.88 lakhs (against the sanctioned

में) सभी नागरिकों के लिए बहुप्रयोज्य राष्ट्रीय पहचान-पत्र तैयार करने से संबंधित प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम'' - 202.17 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित बलों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास'' के अंतर्गत 288.72 लाख रु. की बचत (5400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेल मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''भूकंप जोखिम संबंधी क्षमता निर्माण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 252.49 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और आपदा होने पर त्वरित हस्तक्षेप के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण''- 855.46 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बजट को विलम्ब से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से प्रशिक्षण कार्यकलापों के देर से शुरू होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - जम्मू तथा कश्मीर राहत और पुनर्वास'' - 3254.00 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to non - finalisation of technology for preparation of multipurpose National Identity Cards for all citizens.

(B) "Civic Action Programme in North Eastern Region"- saving of Rs.202.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from the concerned forces and receipt of less claims for reimbursement.

(III) Under Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters" - saving of Rs.288.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5400.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from Ministry of Railways.

(IV) Under Major Head "2245" - "General - Management of natural disasters, contingency plans in disaster prone areas" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Programme for Capacity building for Earthquake Risk Management" - saving of Rs.252.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs); and

(B) "Setting up of National Emergency Management Authority and building up specialised capability for rapid intervention in case of disasters" - saving of Rs.855.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to late commencement of training activities owing to the delayed approval of budget.

(V) Under Major Head "3601"- "Non - Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation-Other Rehabilitation Schemes - Jammu and Kashmir Relief and Rehabilitation" - saving of Rs.3254.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for

जम्मू तथा कश्मीर की सरकार से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

reimbursement from the Government of Jammu and Kashmir.

(खा) ''पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति - पश्चिम बंगाल में पुराने प्रवासियों का पुनर्वास'' - 120.70 लाख रु. की बचत (219.94 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Rehabilitation- Displaced persons from former East Pakistan - Rehabliatation of old migrants in West Bengal" – saving of Rs. 120.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.219.94 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from the Government of West Bengal.

(गा) ''पुनर्वास - श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्ति - राहत अनुदान''- 320.34 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Rehabilitation- Repatriates from Sri Lanka- Relief Grants" – saving of Rs.320.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals for reimbursement from the State Government of Tamil Nadu.

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Non Plan Grants"- under the following heads:-

(का) ''जेल - अन्य अनुदान - जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण'' - 738.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 18400.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के आबंटन की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Jails-Other Grants-Modernisation of Prison Administration"-excess of Rs.738.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.18400.00 lakhs including supplementary grant of Rs.4500.00 lakhs) was due to requirement of additional amount to make up for shortfall in allocation in previous year.

(खा) ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - मिजोरम'' - 1172.72 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) त्रिपुरा में बसे रिआंग शरणार्थियों को वापस मिजोरम में भेजने के लिए मिजोरम की सरकार और ब्रू (रिआंग नेता) के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार मिजोरम की सरकार को उपलब्ध कराई गई सहायता और मिजोरम राज्य में विद्रोह की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों की सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं उन्हें मुआवजे की अदायगी के लिए मिजोरम की सरकार को सहायता अनुदान दिए जाने के कारण हुआ।

(B) "Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes-Mizoram" – excess of Rs.1172.72 lakhs (against nil provision) was due to the assistance provided to the Government of Mizoram as per agreement signed between the Government of Mizoram and Bru (Reang leaders) for repatriation of Reang refugees settled in Tripura to Mizoram and Grants-in-aid to the Government of Mizoram for payment of compensation to persons whose properties were damaged during insurgency period in the State of Mizoram.